



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 17, शुक्रवार, शाके 1937-अक्टूबर 9, 2015
Asvina 17, Friday, Saka 1937-October 9, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 9, 2015

संख्या प. 2 (48) विधि/2/2015:-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण)

अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 33)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

यतः, नागरिकों के पिछड़े वर्गों से संबंधित लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रोन्नति के लिए राज्य में की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आरक्षण की नीति राजस्थान राज्य में बहुत लम्बे समय से क्रियान्वित की जा रही है;

और यतः, कई वर्षों से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन से पीड़ित राजस्थान की जनसंख्या के एक बहुत बड़े प्रतिशत ने आरक्षण

नीति का लाभ लेना प्रारम्भ कर दिया है और वे अपनी दशा में सुधार तथा उच्चतर जीवन-स्तर प्राप्त करने में समर्थ हो गये हैं;

और यतः, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को उपलब्ध विद्यमान आरक्षण के अधीन नहीं आने वाले सामान्य प्रवर्गों के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की जांच पड़ताल के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग ने आरक्षण के लाभ को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू करने की सिफारिश की है;

और यतः, अनारक्षित प्रवर्गों के सर्वाधिक गरीब वर्ग अपनी आर्थिक कमजोरियों के कारण अन्य समृद्ध वर्गों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे धीरे-धीरे सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ रहे हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े वर्गों को उपलब्ध विद्यमान आरक्षण के अन्तर्गत नहीं आने वाले सामान्य प्रवर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों की पहचान और उनकी आवश्यकताओं की जांच-पड़ताल करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग द्वारा आरक्षण के लाभों को व्यक्तियों के इन वर्गों के लिए भी लागू करने की सिफारिश की गयी है;

और यतः, राज्य सरकार ने सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् और राज्य में विद्यमान असाधारण परिस्थिति को देखते हुए, यह विनिश्चित किया है कि राजस्थान राज्य की बहुसंख्यक जनता के प्रोन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और राज्य के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के विद्यमान आरक्षण को जारी रखा जाये और अब तक अनारक्षित रहे प्रवर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्गों के व्यक्तियों, जिनको आर्थिक पिछड़े वर्ग के नाम से अभिहित किया जाना है, को आरक्षण के विद्यमान उपबंधों के परे चौदह प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

अतः अब, भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य

विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आर्थिक पिछड़ा वर्ग" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस रूप में घोषित आरक्षण के किसी भी अन्य प्रवर्ग में सम्मिलित नहीं किये गये व्यक्तियों से मिलकर बने वर्ग अभिप्रेत हैं;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "राज्य के अधीन सेवाओं" से राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाएं और पद अभिप्रेत हैं और इसमें सम्मिलित हैं-

- (i) किसी भी स्थानीय प्राधिकारी में की सेवाएं और पद;
- (ii) राज्य सरकार के पूर्ण या सारवान् स्वामित्व या नियंत्रण के किसी भी निगम या कम्पनी में की सेवाएं और पद;
- (iii) राज्य विधान-मण्डल के किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित और राज्य द्वारा पूर्णतः या सारवान् रूप से वित्त-पोषित किसी भी अन्य प्राधिकारी या निकाय में की सेवाएं और पद; और
- (iv) ऐसी सेवाएं और पद जिनके संबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को सरकारी आदेश से आरक्षण

लागू था और जो उप-खण्ड (i) से (iii) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

3. राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों का आरक्षण.- आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में, जो विहित किये जायें, प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण चौदह प्रतिशत होगा।

4. राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण.-

(1) आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण चौदह प्रतिशत होगा।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पदोन्नति के मामलों में आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए ही, होगा।

5. कतिपय मामलों में कोई आरक्षण नहीं होना.- धारा 4 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित पदों के संबंध में कोई आरक्षण नहीं होगा:-

(क) स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद; और

(ख) वह पद, जो किसी भी संवर्ग या ग्रेड में एक (एकल) है।

6. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि ऐसे सत्र, जिनमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं, तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

7. कठिनाइयों का निराकरण.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसी कोई भी बात कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो कठिनाई का निराकरण करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

8. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए किसी प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

9. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम सं. 12) के उपबंध, जहां तक वे आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित हैं, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से निरसित हो जायेंगे।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार द्वारा, आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थाओं में सीटों के और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के संबंध में बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये समस्त नियम, आदेश, परिपत्र आदि, जहां तक वे ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किया गया है और जो इससे असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये समझे जायेंगे मानो यह अधिनियम उस तारीख को,

जिसको ऐसे नियम, आदेश, परिपत्र आदि बनाये गये या, यथास्थिति, जारी किये गये थे, प्रवृत्त रहा हो, और तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किसी नियम द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें।

(3) इस अधिनियम की कोई भी बात, राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में जारी किये गये किन्हीं भी आदेशों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 9, 2015

No. F. 2 (48) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Aarthik Pichhada Varg (Rajya ki Shaikshik Sansthaon Mein Seeton Aur Rajya ke Adheen Sevaon Mein Niyuktiyon Aur Padon ka Aarakshan) Adhinyam, 2015 (2015 Ka Adhinyam Sankhyank 33):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN ECONOMICALLY BACKWARD
CLASSES (RESERVATION OF SEATS IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS IN THE STATE AND OF APPOINTMENTS
AND POSTS IN SERVICES UNDER THE STATE) ACT, 2015**

(Act No. 33 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of September, 2015]

An

Act

to provide for the reservation of seats in educational institutions in the State and of appointments and posts in the services under the State in favour of the Economically Backward Classes and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEAREAS, the policy of reservation for the social, economic and educational advancement of the people belonging to Backward Classes of citizens in admissions to educational institutions in the State and in appointments in the services under the State has been under implementation in the State of Rajasthan for a long time;

AND WHEREAS, a large percentage of the population of Rajasthan suffering from social and educational backwardness for many years have started enjoying the fruits of the reservation policy and have been able to improve their lot and attain a higher standard of living;

AND WHEREAS, the Commission constituted by the State Government to identify and examine the requirements of economically backward classes of people of general categories not covered by the existing reservation available to the Schedule Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes has recommended extension of the benefit of reservation to the economically weaker classes;

AND WHEREAS, the poorest classes of the unreserved categories, due to their economic weakness, are unable to compete with the other affluent classes, as a result of which they are gradually becoming socially and educationally backward. A Commission was appointed to identify and examine the requirements of these economically backward classes of people of general categories, not covered by the existing reservation available to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes. The Commission has recommended extension of the benefits of reservation to these classes of persons;

AND WHEREAS, the State Government have, after careful consideration and looking to the extraordinary situation in the State, decided that the existing reservation in admissions to educational institutions in the State and in appointments in the services under the State, for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes should be continued and the economically weaker sections of persons of the hitherto unreserved categories as a category to be called the Economically Backward Class should be provided fourteen percent reservation beyond the existing provisions of reservation for ensuring the advancement of the majority of the people of the State of Rajasthan.

NOW, THEREFORE be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Economically Backward Classes

(Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2015.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Economically Backward Classes" means the classes consisting of persons not included in any other category of reservation, declared as such by the State Government, by notification in the Official Gazette, for the purposes of this Act;
- (b) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;
- (c) "Services under the State" means the public services and posts in connection with the affairs of the State and includes the services and posts in-
 - (i) any local authority;
 - (ii) any corporation or company owned or controlled, wholly or substantially, by the State Government;
 - (iii) any other authority or body constituted by or under an Act of the State Legislature and funded, wholly or substantially, by the State; and
 - (iv) respect of which reservation was applicable by Government orders on the date of commencement of this Act and which are not covered under sub-clauses (i) to (iii);

3. Reservation of seats in educational institutions in the State.- The reservation in respect of the annual permitted strength for admission into such educational institutions and courses in the State, as may be prescribed, for Economically Backward Classes, shall be fourteen percent.

4. Reservation of appointments and posts in the services under the State.- (1) The reservation of appointments and posts in

the services under the State for the Economically Backward Classes shall be fourteen percent.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), reservation in matters of promotion shall be only for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

5. No reservation in certain cases.- Notwithstanding anything contained in section 4, there shall be no reservation in respect of the following posts :-

(a) the posts to be filled by transfer or deputation; and

(b) the post which is single (isolated) in any cadre or grade.

6. Power to make rules.- (1) The State Government may make rules for carrying out the purpose of this Act.

(2) All rules made under this section shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session, for a period of not less than fourteen days, which may be comprised in one session or in two successive sessions and, if before the expiry of the sessions in which they are so laid or of the sessions immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

7. Removal of difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by an order published in the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty :

Provided that no order under this section shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be, after it is so made, before the House of the State Legislature.

8. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any authority or person for anything done or purported to have been done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or the rules made thereunder.

9. Repeal and Savings.- (1) The provisions of the Rajasthan Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, Special Backward Classes and Economically Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) Act, 2008 (Act No. 12 of 2009), in so far as they relate to the reservation of Economically Backward Classes, shall, from the date of commencement of this Act, stand repealed.

(2) Without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), all rules, orders, circulars etc. made or, as the case may be, issued before the commencement of this Act by the State Government in relation to reservation of seats in educational institutions and of appointments and posts in the services under the State for the Economically Backward Classes shall, in so far they relate to matters for which provision is made in this Act and are not inconsistent therewith, be deemed to have been made or, as the case may be, issued under this Act as if this Act had been in force on the date on which such rules, orders, circulars etc. were made or, as the case may be, issued and shall continue in force unless and until they are superseded by any rule made under this Act.

(3) Nothing in this Act shall be deemed to have affected any orders made by the Governor in exercise of his powers under the Fifth Schedule of the Constitution of India in respect of the Scheduled Areas.

दीपक माहेश्वरी,

Principal Secretary to the Government.

1338

1338
29/12/2015

29/12/2015

748
29/12/2015



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

कार्तिक 7, गुरुवार, शाके 1937-अक्टूबर 29, 2015
Kartika 7, Thursday, Saka 1937-October 29, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

ERRATA

In Rajasthan Gazette as published in Extra ordinary part 4 (A)
October 9, 2015 Page No. 55(7) Notification No. F.2 (48) Vidhi/
2/2015 in english line No. 18 " 7th day of September, 2015"
should be read correct as " 7th day of October, 2015".